

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-३/आ० वि० (संघा०)-०१-०३/२०१६- 114

गैरयोजना

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, (भा०प्र०से०)

निदेशक।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी।

(संलग्न सूची के अनुसार)

पटना, दिनांक- 20.03.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मद से अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में ₹1,17,96,000/- (एक करोड़ सत्रह लाख छियानवें हजार रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गैरयोजना मद से अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों के संधारणार्थ प्रथम चरण के लिए कुल ₹8,01,50,200/-रु० (आठ करोड़ एक लाख पचास हजार दो सौ रुपये) तथा विभागीय आवंटनादेश संख्या-23, दिनांक-18.07.2016 द्वारा कुल ₹20,38,82,500/-रु० (बीस करोड़ अड़तीस लाख बिरासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गई थी।

जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-113, दिनांक-18.02.2017 से वेतनादि मद में कुल-₹9,17,825/- (नौ लाख सत्रह हजार आठ सौ पचीस रुपये) मात्र जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक- 265 दिनांक 18.02.2017 द्वारा ₹45,96,345 (पैंतालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ पैंतालीस), जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक-67, दिनांक-20.02.2017 से वेतनादि मद में ₹10,46,100/- (दस लाख छियालिस हजार एक सौ रुपये) मात्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-126, दिनांक-17.02.2017 से वेतनादि मद में ₹15,34,852/- (पन्द्रह लाख चौतीस हजार आठ सौ बावन रुपये) मात्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-22, दिनांक-08.03.2017 से वेतनादि मद में ₹20,90,931/- (बीस लाख नब्बे हजार नौ सौ एकतीस रुपये) मात्र तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक- 180 दिनांक- 11.03.2017 द्वारा ₹16,10,000 (सोलह लाख दस हजार) मात्र इस प्रकार कुल ₹1,17,96,053/- (एक करोड़ सत्रह लाख छियानवें हजार तिरपन रुपये) मात्र की राशि का प्रत्यर्पण प्राप्त हुआ है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त कुल प्रत्यर्पित राशि ₹1,17,96,053/- (एक करोड़ सत्रह लाख छियानवें हजार तिरपन रुपये) में से विभिन्न जिलों से वेतन एवं भत्ते मद में जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा माँग के आलोक में अनु० जाति आवासीयों विद्यालयों में सृजित स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में ₹1,17,96,000/- (एक करोड़ सत्रह लाख छियानवें हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2- कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजना आय-व्यय शीर्ष माग संख्या-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-कूट संख्या 0101-वेतन, 0103-जीवन यापन भत्ता, 0104-मकान किराया भत्ता, 0105-परिवहन भत्ता, 0106-चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं०-N2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक-एम०-4-05/ 98-2607 / बि(2) दिनांक-20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5- आवंटित राशि से अतिरिक्त राशि की मांग हेतु विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की वास्तविक संख्या के अनुरूप वेतन, जी०या० भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता में मांग पत्र प्रस्तुत किया जाय ।

6- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

7- व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है ।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेंद्र कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापक-3/आ० वि० (संघा०)-01-03/2016- 114 पटना, दिनांक- 20.03.17

प्रतिलिपि:-विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सम्बंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्यय पदा०/आई० टी० मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(18)

निदेशक 13/17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति आवासीय विद्यालयों के स्थाई पदों के संघारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी:-

| क्र०सं० | जिला का नाम | विद्यालय का नाम | वेतन एवं भत्ते मद में आवंटित राशि (रु० में) |
|---------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वैशाली | रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, हाजीपुर | 2500000 |
| 2 | लखीसराय | रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, लखीसराय | 2000000 |
| 3 | सासाराम | रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सासाराम | 1400000 |
| 4 | मुंगेर | रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, मुंगेर | 1500000 |
| 5 | कटिहार | रा० अ० आवासीय उच्च विद्यालय, सोनैली | 2000000 |
| 6 | मुजफ्फरपुर | रा० अ० आवासीय प्रा० विद्यालय, मुरौल | 786000 |
| 7 | औरंगाबाद | रा० अ० आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, औरंगाबाद | 1610000 |
| कुल योग | | | 11796000 |

(एक करोड़ सतरह लाख छियानवें हजार रुपये) मात्र।

पत्रांक- 114 दिनांक- 20.08.17

निदेशक
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।